कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001
email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656357 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2023/982 दिनांकः– 21/08/2023

–:कार्यवाही विवरणः–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17.08.2023 को उपायुक्त (जोन–03) की अध्यक्षता मे उनके कक्ष मे सपन्न हुई, बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैः–

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01.08.2023 जोन 03 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णयः– समिति द्वारा बाद विचार –विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 140/2 रकबा 10040.84 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

- निर्णयः– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श आवेदित योजना मानचित्र में मास्टर डवलपमेन्ट प्लान/जोनल प्लान की 24 मीटर व 12 मीटर सडक दर्शाते हुए एवं योजना के मध्य स्थित सड़क को 40 फीट करते हुए आम सूचना जारी करते हुए ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।
- प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
- उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 441 क्षेत्रफल 64793.13 वर्गमीटर के ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

निर्णयः– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श आवेदित योजना मानचित्र में प्रस्तुत सर्वे /ले–आउट प्लान को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
- उक्त ले–आउट, प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- ले–आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
- प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
04.	राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 71 व 69 के ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

निर्णयः– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श ग्राम सांगरिया के खसरा न. 71 व 69 के पूर्व में अनुमोदित ले–आउट में प्रश्नगत भूखण्ड संख्या 19 व 20 को सम्मिलित करने पर योजना के क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन एवं जमाबंदी में वर्णित कुल रकबा के परिपेक्ष्य में जोन स्तर पर परीक्षण उपरांत आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।

एजेण्डा संख्या	विषय
05.	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 351/1/5, 351/1/4 रकबा 02.18.00 बीघा के संशोधित ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

निर्णयः– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01.08.2023 के प्रस्ताव संख्या 06 में अनुमोदित राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 351/1/5, 351/1/4 रकबा 02.18.00 बीघा के संशोधित ले–आउट प्लान के अन्तर्गत मौके पर जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल प्राप्त होने के कारण अधिक क्षेत्रफल के संबंध में जोन स्तर पर नियमानुसार राशि वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया तथा उक्त योजना में मास्टर प्लान/जोनल प्लान की सडक दर्शाते हुए शेष शर्तें पूर्ववत् यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।

- प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
- उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- ले–आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
- प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण	अधिशाषी अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण	सहायक नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण	उपायुक्त (जोन–03) जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2023/ 983-988 दिनांकः– 21/08/2023

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त (जोन–03.)जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर